न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस
राजस्व वाद संख्या 1/78/2024

बउनवान

1. शम्मो बाई पत्नि सांई दास पुत्री बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम गुल्लर वाड़ी तहसील टुहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
2. रामप्यारी पत्नि रामकिशन पुत्री बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी सोनोली रोड़, चान्दनी बाग, पानीपत हरियाणा।
3. बलबीर सिंह पुत्र मिलखीराज नवासा बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
4. अमरसिंह पुत्र मिलखीराज नवासा बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
5. लक्ष्मी पुत्री मिलखीराज नवासी बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
6. महेन्द्र पुत्र जगदीश पौत्र बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
7. सुगना बाई पुत्री जगदीश पौत्री बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश पौत्र बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
9. निम्मीबाई पत्नि जगदीश पुत्रवधू बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।

-----वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर।

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री रामसहाय गुर्जर-- अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार- प्रतिवादी

12.06.
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

निर्णय

दिनांक 12.06.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या 590 में स्थित आराजी खसरा नं. 129 रकबा 0.1770 है0 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 215 में स्थित आराजी खसरा नं. 3 रकबा 0.2781 है0 का 1/10 हिस्सा, खाता संख्या 572 में स्थित आराजी खसरा नं. 116 रकबा 0.9483 है0, 117 रकबा 0.0126 है0, 1193/47 रकबा 1.3656 कुल किता 3 रकबा 2.3265 है0 सालिम, खाता संख्या 348 में स्थित आराजी खसरा नं. 72 रकबा 0.7839 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 562 में स्थित आराजी खसरा नं. 1213/77 रकबा 0.0379 है0, का 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 564 में स्थित आराजी खसरा नं. 2 रकबा 0.1517 है0, खसरा नं. 5 रकबा 0.0252 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1769 का 1/6 हिस्सा आराजी वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी हमारे बुजुर्ग मृतक बसन्ता पुत्र खण्डूराम राजपूत के कब्जे काश्त की आराजी है। जो इस वाद पत्र में विवादित आराजी है और आगे वाद पत्र में विवादित आराजी से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि विवादित आराजी मिन वादीगण के पिता, नाना व दादा बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम राजपूत की कब्जे काश्त आराजी थी, जिनकी मृत्यु दिनांक 17.06.1995 को हो चुकी है और उपरोक्त विवादित आराजी इनके कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसके हम वादीगण कानूनी जायज वारिसान है और काबिज जायदाद है।

यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी पर वादीगण 1 लगायत 2 का 1/4–1/4 हिस्सा व वादीगण 3 लगायत 5 का 1/12–1/12 हिस्सा व वादीगण 6 लगायत 9 का 1/16–1/16 हिस्से तक हित निहित है और सभी वादीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह है कि मिन वादीगण के बुजुर्ग बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम राजपूत को उपरोक्त आराजी पाकिस्तान से विस्थापित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अलॉट की हुई थी और उनकी मृत्यु पश्चात

12.06

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

से विवादित आराजी पर अपने बुजुर्गान के फुट स्टेप से वादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज जायदाद है।

यह है कि मिन वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के लिए वादीगण के पक्ष में इंतकाल विरासत दर्ज कराने का निवेदन किया तो उन्होंने मिन वादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी का विरासत इन्तकाल दर्ज कराने से साफ इन्कार कर दिया। वादीगण विवादित आराजी में से अपने–अपने हिस्से के लिए स्वंय को कब्जे काश्तकार खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा दावा इस्तकरारहक विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या 590 में स्थित आराजी खसरा नं. 129 रकबा 0.1770 है0 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 215 में स्थित आराजी खसरा नं. 3 रकबा 0.2781 है0 का 1/10 हिस्सा, खाता संख्या 572 में स्थित आराजी खसरा नं. 116 रकबा 0.9483 है0, 117 रकबा 0.0126 है0, 1193/47 रकबा 1.3656 कुल किता 3 रकबा 2.3265 है0 सालिम, खाता संख्या 348 में स्थित आराजी खसरा नं. 72 रकबा 0.7839 का 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 562 में स्थित आराजी खसरा नं. 1213/77 रकबा 0.0379 है0, का 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 564 में स्थित आराजी खसरा नं. 2 रकबा 0.1517 है0, खसरा नं. 5 रकबा 0.0252 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1769 का 1/6 हिस्सा आराजी वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर को वादीगण के हक हिस्से अनुसार दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण के बुजुर्गान मृतक बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम राजपुत का नाम कलमजन कर वादीगण का नाम रिकॉर्ड अनुसार अंकन किये जाने बाबत निवदेन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम नसवारी के खाता संख्या 590 में स्थित आराजी खसरा नं. 129 रकबा 0.1770 है0 किस्म बारानी अलिफ बसन्तराम पुत्र खण्डूराम हि0 1/2 जाति राजपुत सा0 देह गैर

12.06.
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

खातेदार व वजीरचंद पुत्र जस्सूराम हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 572 में स्थित आराजी खसरा नं. 116 रकबा 0.9483 है0 किस्म चाही सोयम , 117 रकबा 0.0126 है0 किस्म गै0मु0 चाह, 1193/47 रकबा 1.3656 किस्म बारानी अलिफ कुल किता 3 रकबा 2.3265 है0 बसन्तराम पुत्र खण्डूराम हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 564 में स्थित आराजी खसरा नं. 2 रकबा 0.1517 है0 किस्म चाही1 जाव1, खसरा नं. 5 रकबा 0.0252 है0 किस्म गै0मु0 चाह कुल किता 2 रकबा 0.1769 है0 बसन्तराम पुत्र खण्डूराम हि0 1/6 जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार व चांदराम, रामचन्द्र पिता खण्डूराम हि0 1/3 जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार व जस्सूराम पुत्र गोन्दाराम हि0 1/6 वजीरचंद पुत्र जस्सूराम हि0 1/6 नारायण पुत्र आडूराम हिस्सा 1/6 जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 562 के आराजी खसरा नं. 1213/77 रकबा 0.0379 बारानी अलिफ बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम हिस्सा 1/4 जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार व रामचन्द्र पुत्र खण्डूराम हि0 1/4 जस्सूराम पुत्र गोन्दाराम 1/4 वजीरचंद पुत्र जस्सूराम हि0 1/4 जाति राजपूत सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 348 में स्थित आराजी खसरा नं. 72 रकबा 0.7839 किस्म चाही 1 पर बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम हिस्सा 1/2 हिस्सा जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार व मु0 प्यारी बाई पत्नि स्व. बुधराम हिस्सा 1/6 दिलेर सिंह, सुन्दरलाल पि0 बुधुराम हि0 1/3 जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 215 में स्थित आराजी खसरा नं. 3 रकबा 0.2781 है0 किस्म चाही1 जाव1 पर बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम 1/10 हिस्सा जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार व चांदराम पुत्र खण्डूराम हि0 1/10 जस्सूराम पुत्र गोन्दाराम हि0 1/10 नारायण पुत्र आडूराम हि0 1/10 वजीरचंद पुत्र आडूराम हिस्सा 1/10 राजपूत देह गैर खातेदार व धुन्धल पुत्र सम्पत हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार(प्रजापति) साकिन देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) एसबीआई एडीबी शाखा रामगढ़ मु0बि0क दर्ज रिकॉर्ड है। मौके की स्थिति आराजी खसरा नं. 72 रकबा 0.7839 है0 , 1213/77 रकबा 0.0379 है0 , 116 रकबा 0.9483 है0 पर

12.06
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

जमाबंदी में हिस्से अनुसार बसन्ताराम के वारिसों का कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नं. 1193/47 रकबा 1.3656 पर बसन्तराम के वारिसों में से महेन्द्र , सुरेन्द्र पिता जगदीश ने आवासीय घर बनाकर व शेष रकबे पर कृषि कार्य कर काबिज काश्त है। खसरा नं. 5 रकबा 0.0252 चाह पर मौके पर कुआ तथा मोहनसिंह पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी नसवारी द्वारा घर बनाकर काबिज है। आराजी खसरा नं. 2 रकबा 0.1517 हे0 , 3 रकबा 0.2781 है0 पर हिस्से अनुसार ग्राम मालपुर के किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त है। तथा आराजी खसरा नं. 129 रकबा 0.1770 पर बने खां पुत्र सिताब जाति मेव निवासी नसवारी का कब्जा काश्त है।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

तनकी नं. 1 :– आया वादीगण विवादित गैर खातेदारी आराजी को इस न्यायालय से खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है ?

––––– जिम्मे वादी

तनकी नं. 2 :– आया वादीगण विवादित गैर खातेदारी आराजी को इस न्यायालय से खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी नही है ?

–––– जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नं. 3 :– दीगर दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी शम्मोबाई पत्नि सांईदास **पी डब्ल्यू–1**, गवाह रामप्यारी पत्नि रामकिशन पुत्री बसन्ताराम **पी डब्ल्यू–2**, गवाह सुरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश पौत्र बसन्ताराम **पी डब्ल्यू–3**, गवाह लक्ष्मीबाई पत्नी राजकुमार नवासी बसन्ताराम **पी डब्ल्यू–4**, गवाह बलवीर सिंह पुत्र मिलखीराज नवासा बसन्ताराम **पी डब्ल्यू–5** के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है। तथा वादीगण ने अपने दावे की ताहिद में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 **प्रदर्श–1**, मिसल बंदोबस्त 2028 **प्रदर्श–2**, जमाबंदी संवत 2008 **प्रदर्श–3**, जमाबंदी संवत 2012 **प्रदर्श–4**, नकल जमाबंदी संवत 2035 **प्रदर्श–5**, हाल जमाबंदी संवत 2075 **प्रदर्श–6**, नकल

12.06
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

जमाबंदी संवत् 2072 **प्रदर्श–7**, नकल जमाबंदी संवत 2064 **प्रदर्श–8** वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ पेश कर प्रदर्शित कराये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों का दोहराया गया। साथ ही कथन किया कि राज0 सरकार राजस्व (ग्रुप–10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों पर सन् 2012 से काबिज वैध आंवटियों से भिन्न व्यक्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में संवत् 2012 से 2019 तक पट्टेदार , गैर मोरुसी, मौरुसी, रहन मुतर्हन के नाम से दर्ज थे तथा भू–प्रबंध के दौरान गैर खातेदार अंकित कर दिये गये तथा आज तक राजस्व रिकॉर्ड में तदानुसार दर्ज है। उन्हे निम्न प्रकार प्रक्रिया अपनाकर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जावे– संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पर राजस्व रिकॉर्ड की भली–भॉति जॉच कर नवीनतम रिकॉर्ड एवं मौका स्थिती की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर प्रकरणों में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में विहित प्रक्रिया अनुसार खातेदारी देने की कार्यवाही करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्होनें इस परिपत्र में उल्लेखित श्रेणी के गैर खातेदारों से बिना किसी विक्रय पत्र या इकरारनामा के भूमि क्रय कर ली हो तथा अन्य किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर दावा रखते हों उन्हे सक्षम न्यायालय से स्वामित्व/कब्जे के बारे में निर्णय करवाना होगा एवं निर्णय के पश्चात नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे। प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब दावें के तथ्यों का दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर की जमाबंदी संवत् 2072–75 (प्रदर्श–6) अनुसार खसरा नं. 129, 3, 116, 72, 1213/77, 2, 5, 117, 1193/47 में बंसन्ताराम पुत्र खण्डूराम जाति राजपूत हिस्से अनुसार गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 वाके ग्राम नसवारी तहसील तात्कालिक लक्ष्मणगढ़ (प्रदर्श–1) अनुसार वर्तमान खसरा नं. 116, 117, 1193/47, 72, 1213/77, क्रमशः साबिक खसरा नं. 94 मिन, 95 मिन, 69, 70, 71, 57 मिन, 54 मिन से बने

12.06
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

है। जमाबंदी संवत् 2064—67 वाके ग्राम नसवारी अनुसार (प्रदर्श—8) बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम कौम राजपूत सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वाके ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ ता0 तहसील लक्ष्मणगढ़ जमाबंदी संवत् 2008 (प्रदर्श—3) अनुसार खसरा नं. 69 बसन्ताराम वल्द खण्डूराम राजपूत विस्थापित सा0 देह, खसरा नं. 95 हसन खां वल्द जीवन खां कौम मेव साकिन देह चन्दर बकाश्त खाता नं. 7, खसरा नं. 70 बसन्ताराम वल्द खण्डूराम विस्थापित सा0 देह , खसरा नं. 71 बसन्ताराम वल्द खण्डूराम विस्थापित सा देह दर्ज रिकॉर्ड है। वाके ग्राम नसवारी जमाबंदी संवत् 2012—16 (प्रदर्श—4) अनुसार खसरा नं. 57/1 वाके ग्राम नसवारी यासीन, हुरमत पि0 छीतर मेव सा0 देह मुर्तहन बकाश्त बसन्ता वल्द खण्डूराम विस्थापित व खसरा नं. 57/2 छुटलाल वगैरहा मारफत बसन्ता वल्द खण्डाराम राजपूत दर्ज रिकॉर्ड है। खतौनी जमाबंदी संवत् 2028 वाके ग्राम नसवारी (प्रदर्श—2) अनुसार खसरा नं. 2, 3, 5, 117, 77, 47, 116 में बसन्ताराम पुत्र खण्डूराम हिस्से अनुसार गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है प्रतिवादी 1 तहसीलदार गोविन्दगढ़ के जवाब दावा अनुसार खसरा 72, 1213/47, 116 पर हिस्से अनुसार बसन्ताराम के वारिसों का कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नं. 1193/47 पर बसन्ताराम के वारिसों में से महेन्द्र, सुरेन्द्र पिता जगदीश ने आवासीय घर बनाकर व शेष रकबे पर कृषि कार्य कर काबिज काश्त है। बसन्ताराम के वारिसान बाबत वादीगण द्वारा नोटरी सत्यापित शपथ पत्र दौराने बहस पेश किया है। वाद वादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण को वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 116 रकबा 0.9483 है0, 1193/47 रकबा 1.3656 है.0 के सम्पूर्ण हिस्सा , ख.नं. 1213/77 रकबा 0.0379 है0 के 1/4 हिस्सा एवं ख.नं. 72 रकबा 0.7839 है0 के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण से उक्त आराजी की राज्य सरकार के परिपत्रों/आदेशों के अनुसार नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष उपरान्त तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि उपरोक्तानुसार

12.06
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

12.06

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज०)

आज दिनांक 12.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/78/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज०)

बउनवान

1. शम्मो बाई पत्नि सांई दास पुत्री बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम गुल्लर वाड़ी तहसील टुहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
2. रामप्यारी पत्नि रामकिशन पुत्री बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी सोनोली रोड़, चान्दनी बाग, पानीपत हरियाणा।
3. बलबीर सिंह पुत्र मिलखीराज नवासा बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
4. अमरसिंह पुत्र मिलखीराज नवासा बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
5. लक्ष्मी पुत्री मिलखीराज नवासी बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी रामपुरा नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
6. महेन्द्र पुत्र जगदीश पौत्र बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
7. सुगना बाई पुत्री जगदीश पौत्री बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश पौत्र बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।
9. निम्मीबाई पत्नि जगदीश पुत्रवधू बसन्ताराम जाति राजपूत निवासी ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0।

-----डिक्रीदारान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर।

12.06

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

------मदयूनान

दावा अन्तर्गत धारा 88,89

राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

आदेश

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण को वाके ग्राम नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नं. 116 रकबा 0.9483 है0, 1193/47 रकबा 1.3656 है.0 के सम्पूर्ण हिस्सा , ख.नं. 1213/77 रकबा 0.0379 है0 के 1/4 हिस्सा एवं ख.नं. 72 रकबा 0.7839 है0 के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण से उक्त आराजी की राज्य सरकार के परिपत्रों/आदेशों के अनुसार नियमतीकरण शुल्क एवं शास्ति जमा राजकोष उपरान्त तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

आज दिनांक 12.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)